

लीज अवधि प्रमाण-प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना जिला-चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाने से वन प्रभाग, चित्रकूट की 4.10208 हे० आरक्षित वन भूमि होगी, जिसे 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर लेने की आवश्यकता है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रिमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रिमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रिमियम/लीज रेंट निर्धारित किया जायेगा उसे समय-समय पर भुगतान किया जायेगा।

Ashish Shrivastava
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
Assistant Engineer
U.P. Jal Nigam
अस्थाई निर्माण इंजीनियर
Kairi-Chitrakoot
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट
(बांदा)